बिहार सरकार
सहकारिता विभाग

पत्रांक................................../पटना, दिनांक...

03/नि0सा0(प्रचार–प्रसार) –11/2025

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

विषयः **वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य योजना अन्तर्गत विभागीय प्रचार–प्रसार हेतु होर्डिंग्स अधिष्ठापित करने हेतु कुल राशि रू0 94,17,504/– (चौरानवें लाख सत्रह हजार पाँच सौ चार) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेशः– **स्वीकृत**

वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य योजना अन्तर्गत सहकारिता विभाग, बिहार सरकार की योजनाओं के प्रचार–प्रसार करने के संबंध में राज्य/प्रमंडल/जिला/प्रखंड स्तर पर चिन्हित प्रमुख स्थानों पर होर्डिंग्स अधिष्ठापित करने के निमित कुल राशि रू0 94,17,504/–(चौरानवें लाख सत्रह हजार पाँच सौ चार) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति संसूचित की जाती है।

2. उक्त राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2025–26 में मांग संख्या–09, राज्य योजना मुख्य शीर्ष–2425–सहकारिता, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–105–सूचना एवं प्रचार, उपशीर्ष–0101–सूचना एवं प्रचार के लिए सहकारिता विभाग द्वारा व्यय, विपत्र कोड–09–2425001050101 विस्तृत शीर्ष–20–अन्य प्रशासनिक व्यय, विषय शीर्ष–02 कॉन्फरेंस, कार्यशाला, सेमिनार के अन्तर्गत विकलनीय होगी।

3. इस राशि का आवंटन निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को दिया जायेगा तथा निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना द्वारा उक्त राशि का उप आवंटन संबंधित जिला सहकारिता पदाधिकारी को दिया जायेगा जो इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। इसके लिए महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

4. जिला सहकारिता पदाधिकारी जिला में पदस्थापित जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी से समन्वय स्थापति करते हुए जिला पदाधिकारी के निदेशानुसार चिन्हित किये गये स्थानों पर होर्डिंग्स अधिष्ठापित करेंगें। अधिष्ठापित उपरान्त राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बंधित जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। इस कार्य का अनुश्रवण प्रमण्डलीय संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ के स्तर से किया जायेगा।

5. इस राशि का उपयोग उसी कार्य के लिए किया जायेगा, जिस कार्य के लिए स्वीकृति दी गई है। किसी अन्य मद में राशि का उपयोग कदापि नहीं किया जायेगा। इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे।

6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वित्त, बिहार, पटना के पत्रांक–2561 दिनांक 17.04.1998 एवं संकल्प संख्या–7245 दिनांक 26.09.2018 के पत्र का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। साथ ही राशि की

निकासी एवं व्यय करने में बिहार कोषागार संहिता तथा बिहार वित्तीय नियमावली के सुसंगत प्रावधानों तथा वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों/अद्यतन अनुदेशों का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा।

7. विपत्र भुगतान के पूर्व नियमानुसार अनुमान्य कटौती सुनिश्चित किया जाय।

8. सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार पटना की अध्यक्षता में दिनांक–12.06.2025 को आयोजित विभागीय स्थायी वित्त समिति की बैठक में उक्त योजना प्रस्ताव पर अनुशंसा प्राप्त है।

9. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहाकार की सहमति संचिका संख्या–03/नि0सा0(प्रचार–प्रसार) –11/2025 पर के पृ0 संख्या 17/टि0 पर दिनांक 12.06.2025 को दी गई है।

10. इस राशि की स्वीकृति सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना द्वारा संचिका संख्या–03/नि0सा0(प्रचार–प्रसार) –11/2025 पर के पृ0 संख्या 17/टि0 पर दिनांक 12.06.2025 को दी गई है।

ह०/–

(अभय कुमार सिंह)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक 151 /पटना, दिनांक 12/06/2025
03/नि0सा0(प्रचार–प्रसार) –11/2025

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

E-mail

1. कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, नया सचिवालय बिहार, पटना को मुहरबन्द लिफाफे में।
2. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना।
3. निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/सभी संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार/ अवर सचिव, प्रभारी पदाधिकारी बजट प्रशाखा–03, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी, बिहार/आई0 टी0 मैनेजर, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना।

12.06.25

सरकार के अपर सचिव।